कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा
Website : www.kotamc.org, Email : nnksouth@gmail.com,

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः– ननि (दक्षिण) को/उपा.रा./2024/6062–6074 दिनांकः–14/10/24

–:: ई–निविदा सूचना ::–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा कोटा नगर निगम दक्षिण सीमा क्षेत्र में निम्न वार्षिक ठेका से राजस्व वसूली हेतु एक वर्ष 2024–25 (कार्यादेश से एक वर्ष तक) के लिये **2 Bid 2 Stage (पद्धति) के अनुसार ई–प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया** द्वारा ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	धरोहर राशि 02 प्रतिशत	ठेका आरक्षित राशि
1	चम्बल उद्यान स्थित जॉय ट्रेन के संचालन का ठेका	1500	500	32466	16,23,312/–

इस हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ऐजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम की वेब साईट **https://urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/nagar-nigam-kota-south/en/home.html** एवं **http://sppp.rajasthan.gov.in** तथा **https://eproc.rajasthan.gov.in/** से देख एवं डाउनलोड कर सकते है।

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र मिलने एवं ऑनलाईन निविदा जमा कराने की दिनांक	दिनांक 15.10.24 से 25.10.24 तक समय 6:00 बजे
अपेक्षित डी0डी0 जमा कराने की दिनांक	दिनांक 28.10.24 समय 4:00 बजे
ऑनलाईन निविदा की तकनिकी बिड खोलने की दिनांक	दिनांक 29.10.24 समय 3:00 बजे
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक	तकनीकी बिड में सफल संवेदकों की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत खोली जावेगी।

उपरोक्त कार्य के लिये निर्धारित निविदा शुल्क उनके सामने अंकित राशि का डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम प्रोसेसिंग फीस का डी0डी0 "मैनेजिंग डायरेक्टर" आर0आई0एस0एल0 जयपुर के नाम निर्धारित दिनांक 28.10.24 को सांय 4.00 बजे तक अनुसार राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा दक्षिण के "ए" ब्लॉक प्रथम तल पर कमरा नं0 238 राजस्व अनुभाग दक्षिण में पहुंच जाना चाहिये। उक्त निविदा नियत तिथि को ऑनलाईन खोली जावेगी। स्वीकृत ठेका राशि पर 18% GST एंव किसी भी प्रकार का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय शासन द्वारा समय–समय पर आरोपित कर संवेदक को स्वयं वहन करना होगा तथा डी.डी. स्वंय अथवा फर्म के नाम से तैयार किया जाना अनिवार्य होगा।

नोटः–

1. **उक्त राशि एक वर्ष हेतु निर्धारित है जिसके लिये संवेदक को सम्बन्धित कार्य की एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात् ही कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी, अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए पुनः निविदा जारी कर दी जावेगी। जिसके लिए किसी तरह का कोई अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार नही होगी।**
2. **केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड फर्म/संवेदक निविदा में भाग नही ले सकेगा।**

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)

Mix Nivida 2024-25.32

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

–: तकनीकी बिड :–

1. कार्य का नामः– चम्बल चम्बल उद्यान स्थित जॉय ट्रेन के संचालन का ठेका
2. कार्य की अवधि :– कार्य आदेश से वर्ष 2024–25 एक वर्ष हेतु
3. स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज का फोटो सहित।
4. स्थाई अंकित पते की स्वःप्रमाणित प्रति जिसकी पुष्टि स्वरूप नल, बिजली, टेलिफोन, मतदाता सूची, ड्राईविंग लाईसेंस में से एक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. बैंक खाते अथवा कैंसिल चैक की सत्यप्रति, पेनकार्ड की प्रति तथा आधार कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति।
6. आयकर प्रमाण–पत्र :– दो वर्षो 2021–22 व 2022–23 की प्रमाणित प्रति
7. 100/– स्टाम्प पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. कम्पनी/फर्म/संस्था/व्यक्ति के अधिकृत प्रतिनिधि का अधिकार पत्र (Power of Attorney) एवं आई0डी0 की स्वःप्रमाणित फोटो प्रति।
9. डी.डी. फर्म के नाम से तैयार किया गया होना चाहिए अन्य के नाम से जारी डी.डी. होने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा।
10. 2 प्रतिशत धरोहर राशि का डी.डी. एवं समस्त प्रकार के डी.डी. आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम देय होंगे।
11. चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस द्वारा सत्यापित जो कि 6 माह से अधिक पुराना ना हो।
12. EPF एवं ESI विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में अन्य निविदा पर विचार किया जावेगा।

<u>नोट :–</u> तकनीकी बिड में सफल संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में बिन्दु सं0 3 से 12 तक के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही तकनकी बिड सफल मानी जावेगी।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः– ....

पिता का नामः– ....

पूर्ण पताः– ....

मो0नं0 :–..

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)

—: वित्तीय बिड़ :—

1. कार्य का नाम :— चम्बल उद्यान स्थित जॉय ट्रेन के संचालन का ठेका
2. कार्य की अवधि :— कार्य आदेश से वर्ष 2024—25 एक वर्ष हेतु
3. अनुमानित राशि :— ..../—
4. वित्तीय बिड़ खोलने की तिथि :— तकनीकी बिड की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत।
5. निविदादाता का नाम व स्थाई पता मय फोन नं0 :— ....
....
6. निविदादाता द्वारा दी गई ठेका राशि (एक वर्ष के लिए) :—

नोट :— 1. दरें अंको/शब्दों में BOQ शीट में ऑनलाईन प्रस्तावित करें।

मैं संलग्न शर्तो/निर्देशो को भली—भांती अध्ययन
कर लिया है, मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ
एवं पालन करूगां।

हस्ताक्षर संवेदक

नामः— ....

पिता का नामः— ....

पूर्ण पताः— ....

मो0नं0 :—...

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

शर्तेः– चम्बल उद्यान स्थित जॉय ट्रेन के संचालन का ठेका वर्ष 2024–25 एक वर्ष के लिए

1. संविदा की अवधि कार्यादेश से 01 वर्ष तक होगी। कार्य एवं संतोषप्रद होने पर अवधि गत वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर एक वर्ष तक बढाई जा सकती है।
2. नगर निगम द्वारा स्थापित ट्रेन जिस हालत में निगम द्वारा सम्भलायी जावेगी। कार्य अवधि समाप्ति पर उसी हालत में निगम को सम्भलाना होगा।
3. टिकिट दरें निगम द्वारा निर्धारित की गई है उससे अधिक राशि वसूल नही की जावेगी।
4. ट्रेन संचालन का समस्त व्यय (विद्युत व्यय, मरम्मत, बुकिंग कलर्क, साफ–सफाई, सुरक्षा गार्ड) संवेदक द्वारा वहन किये जावेंगे।
5. जॉय ट्रेन पर प्रत्येक वर्ष रंग–रोगन संवेदक द्वारा करवाया जावेगा।
6. जॉय ट्रेन खराब होने पर जॉय ट्रेन की मरम्मत संवेदक द्वारा ही करवाकर अतिशीघ्र चालू करना होगा।
7. बुकिंग विण्डो के पास दरों का सुपठित बोर्ड चस्पा करना होगा।
8. जॉय ट्रेन पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना (जान–माल) की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसमें निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
9. मनोरंजनार्थियों का बीमा संवेदक को ही कराना होगा।
10. जॉय ट्रेन परिसर एवं समस्त जॉय ट्रेन की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
11. जॉय ट्रेन का संचालन ऋतु के अनुसार चम्बल उद्यान के समयानुसार ही करना होगा।
12. निगम द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना करनी होगी।
13. संवेदक को उच्चतम बोली की राशि मय समस्त करो सहित 3 दिवस में जमा करानी होगी तब ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा तथा कार्यादेश जारी होने के उपरांत 2 दिवस में निगम शर्तो के अनुसार जॉय ट्रेन प्रारम्भ करना होगा।
14. जॉय ट्रेन पर निर्धारित आयु/भार तक के ही बच्चे/व्यक्तियों को ही बैठाया जावेगा।
15. **उक्त राशि एक वर्ष हेतु निर्धारित है जिसके लिये संवेदक को सम्बन्धित कार्य की एक मुश्त राशि जमा करानी होगी। तत्पश्चात् ही कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी, अन्यथा ठेका निरस्त करते हुए पुनः निविदा जारी कर दी जावेगा। जिसके लिए किसी तरह का कोई अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार नही होगी।**
16. **100/– स्टाम्प पर केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत्तशासी निकायों/निगम/बोर्ड/सार्वजनिक उपक्रम का बकायादार एवं ब्लैक लिस्टेड नही होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा। साथ ही कानूनी कार्यवाही करने के लिए निगम पूर्णतया स्वतंत्र होगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वंय संवेदक की होगी।**
17. **सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति तिथि से अन्दर 7 योम में नियमानुसार नोन ज्यूडिशिलय स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा तथा नियमानुसार 2 प्रतिशत धरोहर राशि के अतिरिक्त 3 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त कुल 5 प्रतिशत राशि कार्य समाप्ति पर लौटायी जावेगी।**
18. **चम्बल गार्डन मे जॉय ट्रेन के संचालन की दरें निम्न प्रकार से रहेंगी।**

1.	**जॉय ट्रेन एडल्ट**	–	**40/–**
2.	**जॉय ट्रेन चाइल्ड**	–	**20/–**
3.	**जॉय ट्रेन स्कूल ग्रुप**	–	**15/–**

19. केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्राकृतिक आपदा में जारी गाईडलाईन की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
20. संवेदक को नगर निगम कोटा दक्षिण के राजस्व अनुभाग का बकायादार ना होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21. निविदा पत्र पर निविदादाता का नवीनतम फोटो जो स्वःप्रमाणित हो एवं निवास के पते के पुष्टीकरण नल, बिजली, टेलीफोन, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र की सत्यापित फोटो प्रति में से एक एवं पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से निविदा पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।
22. निविदा पत्र के साथ संवेदक को अपने बैंक खाते अथवा कैंसिल चैक की सत्य प्रतिलिपि, पिछले छः महिनो का बैंक स्टेटमेन्ट, आधार कार्ड, जीएसटी व पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा साथ ही दो वर्षो **2021–22 व 2022–23** का आयकर रिर्टन की प्रति संलग्न करनी होगी।
23. निविदा टेण्डर की समस्त राशि डी.डी. व बैंकर्स चैक से ही स्वीकार्य होंगे।
24. निविदादाता निविदा को जरिये ऑनलाईन से भेजनी होगी।च
25. जिस व्यक्ति/फर्म/संस्था पर उत्तर/दक्षिण निगम का कोई बकाया होगा तो उसे ठेका नही दिया जावेगा।
26. बिना कारण बतायें ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम, कोटा दक्षिण में निहित होगा।
27. स्वीकृत निविदादाता ठेके को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगा।
28. चम्बल गार्डन जॉय ट्रेन के संचालन पर बुकिंग कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा दिया जावेगा। जिस पर संवेदक द्वारा टिकट विक्रय किये जावेंगे तथा ठेका समाप्ति पर बुकिंग कार्यालय संवेदक द्वारा वापस निगम को सम्भालना होगा।
29. संवेदक एवं उसके कर्मचारियों द्वारा किसी भी असामाजिक तत्वों को ना तो प्रवेश देगा एवं ना कोई अशोभनीय व्यवहार चम्बल गार्डन जॉय ट्रेन के संचालन परिसर में जाने वाले व्यक्ति के साथ करेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की संवेदक की गलती पाई गई तो पुलिस कार्यवाही के लिए संवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
30. उद्यान अधीक्षक नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा तय किये गये समयानुसार ही जॉय ट्रेन का संचालन किया जावेगा।
31. चम्बल गार्डन जॉय ट्रेन के संचालन परिसर में वार्ड पार्षद, निगम अधिकारी, पत्रकार के प्रवेश की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी।
32. निगम की छवि को धुमिल करने एवं अव्यवस्था फैलाने के कारण संवेदक के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वंय संवेदक की होगी।
33. संवेदक द्वारा बुकिंग एवं जॉय ट्रेन पर आवश्यकतानुसार नल व बिजली स्वयं के खर्चे पर नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम से कनेक्शन लेना होगा, जिसके बिलों का व्यय स्वयं को वहन करना होगा एवं ठेका समाप्ति पर नल बिजली विभाग द्वारा कोई राशि बकाया न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
34. जॉय ट्रेन का निरीक्षण करने का अधिकार नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त, उपायुक्त राजस्व, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक को होगा।
35. एक बार ठेका स्वीकृत होने पर संवेदक को निर्धारित स्थान पर निर्धारित अवधि तक संचालन करना होगा बीच में ठेका छोड़ने पर शेष अवधि के राशि संवेदक को वापस नही लोटाई जावेगी।
36. संवेदक को बुकिंग स्थल पर निर्धारित दर की सूची 3 X 5 वर्ग फीट के बोर्ड पर अंकित करवाकर लगानी होगीं जो स्पष्ट पठनीय होनी चाहिएं। ऐसा न करने पर 25/–रूपयें प्रतिदिन की दर से शास्ती वसूल की जावेगी।
37. संवेदक द्वारा किसी भी उपरोक्त शर्तो या शर्त का उल्लंघन करने पर प्रथम बार 1000/–रूपयें शास्ती, द्वितीय बार 2000/– रूपयें एवं इसके बाद भी उल्लंघन करने पर जमा राशि जप्त की जाकर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
38. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा वसूल की जानी वाली जीएसटी राशि, आयकर, सर्विस टेक्स व अन्य कर ठेका राशि के अतिरिक्त जमा करानी होगी।
39. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त शासन विभाग एवं निगम प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों एवं निर्देशों की पालना संवेदक को करनी होगी।
40. प्रत्येक मामले में नगर निगम कोटा दक्षिण का निर्णय अंतिम होगा।
41. सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
42. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र कोटा होगा।

43. अन्य शर्ते व उपकर सामान्य वित लेखा नियम एवं नगर पालिका क्रय नियमों से शासित होगा।

44. तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज स्वंय सूचीबद्ध कर संलग्न करें।

45. उक्त EPF एवं ESI विभाग के रजिस्ट्रेशन के साथ ही 100 रू. के स्टाम्प पर यह शपथ पत्र देना होगा कि EPF एवं ESI के संबंध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं (निविदादाता) का होगा।

हस्ताक्षर संवेदक

उपायुक्त राजस्व
नगर निगम कोटा (दक्षिण)